आरोपी डॉक्टर की जमानत याचिका पर सुनवाई बढ़ी

छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने से हुई थी 25 मासूम बच्चों की मौत

जबलपुर,16 जनवरी. छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने से 25 मासूम बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी की जमानत याचिका पर बढ़ गयी.

हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने अगली सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की है. गौरतलब है कि जहरीले सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने 6 अक्टूबर को डॉ प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया था. जिला न्यायालय से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद

उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी. आरोपी डॉक्टर की तरफ से दायर जमानत आवेदन में कहा गया है कि बच्चों की मौत के लिए वे जिम्मेदार नहीं, बल्कि इसमें दवा कंपनी की गंभीर लापरवाही है. उन्होंने नियमानुसार दवा लिखी थी और सिरप में जहरीले तत्व होने की जिम्मेदारी निर्माता कंपनी की बनती है.

मेडिकल अभ्यार्थियों को झटका

मप्र हाईकोर्ट ने मेडिकल शिक्षक भर्ती से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाईडलाइन के तहत संबंधित संस्थान चयन के लिए उच्च योग्यता निर्धारित कर सकते हैं. इस मत के साथ न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया में भाग लेने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने कहा कि अंतरिम राहत देने से उनके साथ अन्याय होगा जिनके पास समान योग्यता है, लेकिन जिन्होंने संबंधित विज्ञापन में भाग नहीं लेने का विकल्प चुना है. युगलपीठ ने स्वास्थ्य एवं मेडिकल एजुकेशन विभाग के संचालक, नेशनल मेडिकल कमीशन व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है. दरअसल यह मामला भोपाल की डॉ. सविता राठौर सहित करीब एक दर्जन अन्य सहायक प्राध्यापकों द्वारा किया गया था. जिसमें उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल करने की राहत चाही थी. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि राज्य सरकार द्वारा तय की गई उच्च योग्यता एमसीआई के मानकों से अधिक है.

मानहानि केस पर अब 26 फरवरी को सुनवाई

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डीपी सूत्रकार ने मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष व विधायक अजय सिंह राहुल व जबलपुर के विधायक लखन घनघोरिया के विरुद्ध मानहानि प्रकरण पर बहस के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत कर दी है. विगत सुनवाई पर न्यायालय ने सभी को नोटिस जारी किए थे. दरअसल, विजय पांडे की ओर से दायर परिवाद में कहा गया है कि वे नेशनल हेल्थ मिशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पद पर जबलपुर में पदस्थ थे. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल सहित अन्य कांग्रेसी विधायकों ने पत्रकारवार्ता में उसकी अंकसूची को फर्जी तथा रिश्वत देकर नियुक्ति पाने के आरोप लगाए थे. कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने भी उनकी अंकसूची फर्जी होने का मामला विधानसभा में उठाया था. कांग्रेस विधायक ने पांच अगस्त को विधानसभा का वाक आउट भी किया था. विधानसभा में हुए हंगामे के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक सलोनी सिडाना ने उन्हें पद से हटाते हुए जांच के आदेश जारी किये गये थे.

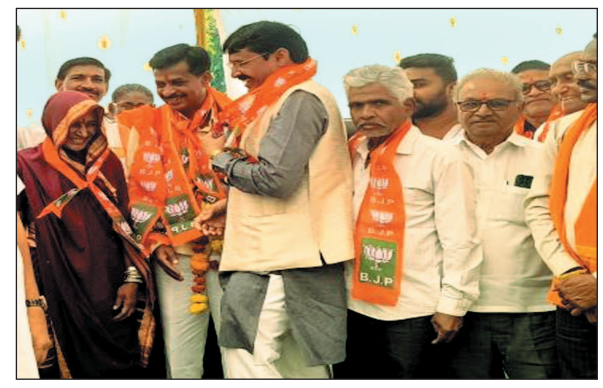

सकराली सरपंच सहित कई ग्रामीण भाजपा में शामिल

▶ कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका

पानसेमल,16 जनवरी. विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सकराली सरपंच सहित कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं जिससे कि कांग्रेस पार्टी को एक ओर झटका लगा है हाल ही में उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद मोयदा और तलावड़ी के ग्रामीण भाजपा में शामिल हुए थे जिसके बाद शुक्रवार को सकराली के सरपंच परिवार सहित 25 अन्य भाजपा में शामिल हुए.

श्याम बरडे ग्राम पंचायत सकराली बुजुर्ग में 25 लाख रुपये की लागत से बनने वाली पुलिया के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. विधायक श्याम बर्डे ने कहा कि वर्षो से ग्रामों में विकास कार्य नहीं हो पाए है ग्रामों के कुछ फलियों में आज भी बिजली नहीं है जिनका संज्ञान लेकर अब उन स्थानों पर मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराई जा रही हैं.भाजपा सरकार द्वारा लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं.विधायक बनने के बाद प्रत्येक ग्राम मेरा अपना ग्राम है इस विचारधारा के साथ कार्य किया जा रहा है.

मंच से उन्होंने ओसवाड़ा, मनकुई, शिवनी सहित अन्य ग्रामों में हुए करोड़ो के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी .विधायक ने कहा कि सरपंच स्वेच्छा से परिवार के साथ भाजपा में शामिल हुए, उनका स्वागत हैं.सभी के सहयोग से ग्राम में शेष कार्यों को पूर्ण करवाया जाएगा .आपको बता दे उनके परिवार एवं वे स्वयं करीब चार बार कांग्रेस से सरपंच रह चुके है.वरिष्ठ कांग्रेस नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले उदयसिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए.उन्होंने बताया कि विधायक श्याम बरडे की कार्यकुशलता, व्यक्तित्व तथा क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर लिया.

एक नजर में

किसान के खाते से 3.43 लाख की ऑनलाइन ठगी

शिवपुरी. किसान के बैंक खाते से 3.43 लाख रु. का अवैध ट्रांजेक्शन हो गया है. किसान ने अपने आधार में नंबर लिंक कराया था. जिस ऑनलाइन सेंटर से अपडेशन कराया था, उसके संचालक पर ठगी का संदेह जताया है. मामले को लेकर पुलिस थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. बामौरकलां थाने के ग्राम पिपरा निवासी सेवराज सिंह लोधी के बैंक खाते से 3 लाख 43 हजार 300 रु. निकल गए हैं. किसान सेवराज का कहना है कि ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर पर अपने आधार में मोबाइल नंबर लिंक कराया था. मोबाइल लिंक करने के लिए सेंटर संचालक ने बायोमेट्रिक डिवाइस में फिंगर लगवाया था.

जस्टिस पॉल ने ली मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ

जबलपुर, 16 जनवरी. जस्टिस सुजॉय पॉल ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट नंबर एक आयोजित हुआ, जहां पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने उन्हें पद की शपथ दिलाई. जस्टिस पॉल पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे. उन्हें 18 जुलाई 2025 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था. बताया गया कि मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल मूलतः जबलपुर में पले बढ़े हैं.

मंत्री और सांसद के प्रयास से 12 करोड़ के 4 ब्रिज स्वीकृत

आलीराजपुर,16 जनवरी. कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान एवं सांसद अनिता चौहान के प्रयासो से क्षेत्रवासियों के लिए राहत भरी खबर आई है.

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ी पुलिया के स्थान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा 4 नए ब्रिजों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान ने बताया कि ग्राम कोदली, पीथनपुर, मोरियावाडा और आगलगोटा के रहवासीयो द्वारा समय समय पर पुलिया की रपट खराब होने के चलते आवागमन में हो रही असुविधाओं एवं परेशानियो के

बारे में बताया जा रहा था. जिसे गंभीरता से लेकर हमारे द्वारा कैबिनेट बैठक के दौरान चारों स्थानों पर जर्जर पुलिया के कारण ग्रामवासीयो को आ रही समस्या से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अवगत कराया, जिसपर उन्होने ग्रामवासियों की समस्या का समाधान करते हुए पुलिया जगह ब्रीज निर्माण किए जाने की मंजूरी प्रदान कर सम्बंधित विभाग को स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए.

निजी स्कूलों में 628 छात्रों का फर्जी एडमिशन

फीस की राशि का गबन : 26.50 लाख रुपए की धोखाधड़ी

जबलपुर,16 जनवरी. गरीब एवं कमजोर वर्ग के छात्रों की फीस की राशि 26.50 लाख रूपये की धोखाधड़ी कर गबन करने पर आधा दर्जन प्राइवेट स्कूलों के मालिकों एवं नोडल अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, जबलपुर ने एफआईआर दर्ज कर ली है.

6 प्राइवेट स्कूलों के द्वारा कुल 628 छात्रों का फर्जी एडमिशन अपने स्कूलों में दर्शाकर 26.50 लाख रूपये की फीस प्रतिपूर्ति राशि अवैध रूप से हड़पी है. सूत्रों के मुताबिक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर में विजयकांति पटेल ने शिकायत की गई कि

गरीबी रेखा के नीचे एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिये जाने का प्रावधान किया गया है. प्राइवेट स्कूलों द्वारा एक छात्र को 2 से 3 बार एडमिशन दर्शाकर जिला शिक्षा केंद्र जबलपुर से इस योजना में शासन से प्रदान की जाने वाली छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति राशि का अनियमित भुगतान किया गया.

जांच में पाया गया कि जबलपुर जिले में 466 प्राइवेट स्कूलों को गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चों की वर्ष 2011 से 2016 तक अवधि में कुल 3, 27, 83, 521 रूपये की फीस प्रतिपूर्ति राशि भुगतान की गई थी. इनमें से 6 प्राइवेट स्कूलों के द्वारा कुल 628 छात्रों का फर्जी एडमिशन अपने स्कूलों में दर्शाकर 26.50 लाख रूपये की फीस प्रतिपूर्ति राशि अवैध रूप से हड़प ली गई.

बच्चे को कंधे पर बैठाकर की हर्ष फायरिंग

गुना,16 जनवरी. जिले के बमोरी तहसील के ग्राम डोंगरी में भिलाला समाज के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना सामने आई. सैकड़ों लोग नृत्य और संगीत का आनंद ले रहे थे, तभी एक युवक ने हाथ में बंदूक लहराते हुए अचानक हवाई फायरिंग की.

वहीं उसके पास ही एक नाबालिग बच्चा कंधे पर बैठा था, जिससे घटना बेहद खतरनाक हो

गई. हवा में चली गोलियों से वहां मौजूद लोगों की जान जोखिम में थी. हालांकि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन यह घटना दर्शाती है कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून की अनदेखी कितनी गंभीर है. सवाल उठता है कि क्या प्रशासन और पुलिस सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा का प्रबंध करने में पूरी तरह असफल हो गए हैं? नियमों के बावजूद खुलेआम हथियार का प्रदर्शन किया गया, जिससे सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ गईं.

घटना प्रशासन के लिए चुनौती

डोंगरी की यह घटना प्रशासन के लिए चेतावनी और चुनौती दोनों है. यदि भविष्य में इसी तरह की लापरवाही रही, तो केवल एक 'हसीन हादसा टल गया' कहने भर से काम नहीं चलेगा. प्रशासन से अब जनता को जवाब चाहिए कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था कहां है.

विधायक को सांसद ने लिया आड़े हाथों

अमर्यादित बयानबाजी पर दी तीखी प्रतिक्रिया

जबलपुर,16 जनवरी. हाल ही में मध्य प्रदेश के भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए बयान की राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीक ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी है और शासन से मांग की है कि ऐसे अमर्यादित बयानबाजी करने वाले विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीक ने नवभारत को बताया कि कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है जिस कारण उसकी मानसिक विकृति बयानबाजी के जरिए बाहर आ रही है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे पहले बेटियों, आदिशक्ति का पूजन कर कार्यक्रम की शुरूआत होती है लेकिन कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया बच्चियों, महिलाओं के प्रति

जो मर्यादित बयान दे रहे हैं उसे अपने शब्दों में बोलना भी काफी निंदनीय है. ऐसे विधायक को तत्काल राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए. साथ ही दलित वर्ग का अपमान करने वाले विधायक को चुनाव में जिताने वाले दलित वर्ग के ही वोटर अब अफसोस कर रहे हैं कि कहां से उन्होंने इस विधायक को वोट देकर चुनाव जिताया था.

जानकारी के अनुसार भोपाल के समन्वय भवन में दो दिन पहले कांग्रेस की डिक्लेरेशन-2 की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने दलिग वर्ग का अपमान करते हुए बयानबाजी की और बच्चियों, महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित बयान दिए थे जिसके बाद से राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीक ने विधायक के खिलाफ आक्रोश जताया है. विधायक द्वारा दिए गए बयान में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग (एससी-एसटी) के विधायक-सांसदों की तुलना कुत्ते से की गई थी.

साऊथ अफ्रीका के उच्चायुक्त पहुंचे स्कूल

ग्वालियर,16 जनवरी. सिंधिया कन्या विद्यालय का दक्षिण अफ्रीका के हाई कमिश्नर प्रो. अनिल सूकलाल ने पत्नी, नेलिस्ट्रा सूकलाल सिंह के साथ दौरा किया.

प्रधानाचार्या निशि मिश्रा द्वारा उनका पुष्पगुच्छों से स्वागत किया गया तथा स्मृति चिह्न प्रदान किया गया. इस अवसर पर उप प्रधानाचार्या गरिमा संधू, करियर काउंसलर उर्वशी, इवेंट कोडिनेटर शिवांगी सहाय, भारती सूद विशेष रूप से उपस्थित रहीं. प्रो. अनिल सूकलाल दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के भारत में हाई कमिश्नर एवं मिशन प्रमुख हैं. उन्होंने छात्राओं के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन भी किया यह सत्र प्रेरणादायक रहा, जिसमें ब्रिक्स की वैश्विक भूमिका, दक्षिण अफ्रीका का मुक्ति आंदोलन, तथा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर युवा सशक्तिकरण

जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. संवाद का केंद्र मानवीय मूल्यों, नैतिक नेतृत्व एवं वैश्विक उत्तरदायित्व रहा. छात्राओं ने उनसे राजनयिक जीवन, व्यक्तिगत मूल्यों एवं वैश्विक प्रतिनिधि के रूप में उनके अनुभवों से जुड़े प्रश्न पूछे. उत्तर में, महामहिम ने भगवद गीता की शिक्षाओं से प्रेरित विचार साझा करते हुए कर्तव्य, ईमानदारी और नैतिकता के महत्व पर बल दिया. उन्होंने शिक्षा को युवाओं के सशक्तिकरण एवं जिम्मेदार वैश्विक नागरिक निर्माण का सशक्त माध्यम बताया.

एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड
(CIN: U65921MH1995PLC212675)
एक्सिस हाउस, C-2, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुडकर मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400025
AXIS FINANCE

परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)
[सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 8 (1) के साथ पढ़े गए परिशिष्ट IV के अनुसार]

चूंकि, मैं, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड (AFL) का अधिकृत अधिकारी, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के तहत और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े गए सेक्शन 13 (12) के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 29 अक्टूबर 2025 को एक डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें कर्जदार/गारंटर/गिरवी रखने वाले (1) श्री शुभम दुबे (कर्जदार/गिरवी रखने वाला) 2 श्रीमती नीता दुबे (सह-कर्जदार I/गिरवी रखने वाला I) से नोटिस में बताई गई राशि रु. 36,96,932 (छत्तीस लाख छियानवे हज़ार नौ सौ बत्तीस रुपये मात्र) जो 28 अक्टूबर 2025 तक बकाया है, का भुगतान करने के लिए कहा गया था, साथ ही भुगतान की तारीख तक संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा, नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर. कर्ज़दार/ज़मानतदार/गिरवी रखने वाले द्वारा रकम चुकाने में नाकाम रहने पर, इसके द्वारा कर्ज़दार/ज़मानतदार/गिरवी रखने वाले और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे बताई गई प्रॉपर्टी का कब्ज़ा, नीचे हस्ताक्षर करने वाले ने 16 जनवरी 2026 को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे/उन्हें दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ा गया है.

विशेष रूप से कर्ज़दार/ज़मानतदार/गिरवी रखने वाले और आम जनता को इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे प्रॉपर्टी के साथ कोई लेन-देन न करें और प्रॉपर्टी के साथ कोई भी लेन-देन एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के रु. 3792483 (सैंतीस लाख बानवे हज़ार चार सौ तिरासी रुपये) के चार्ज के अधीन होगा, जो 07 जनवरी 2026 तक बकाया है और साथ ही एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के पूरे भुगतान या पूरी वसूली तक अनुबंधित दरों पर आगे का ब्याज, लागत, शुल्क आदि भी लगेगा.

कर्ज़दार/ज़मानतदार/गिरवी रखने वाले का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) और उप-धारा (13) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में बताया गया है.

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का विवरण - आवासीय मकान संख्या S-70 का पूरा टुकड़ा और पार्सल, जो प्लॉट नंबर-70 पर बना है, जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट है, जो सिंगापुर ग्रीन व्यू प्रीमियम में स्थित है, सर्वे नंबर 94/2, 100/2, 100/3/2, 100/3/1, 91/1, 105/1/1, 106/1, 105/2, 106/2, 91/2, 91/4, 91/5, 91/6, 93/1, 93/2, 100/1p, 85, 86, 90, 103/2, 104/2, 97/2/2/2, 98/2/2, 97/1, 98/1/2/1, 97/2/1k, 97/2/2/1 वाली परिवर्तित भूमि पर स्थित है, जो बिज्जूखेड़ी गांव, तहसील सांवेर, इंदौर, मध्य प्रदेश में है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं.

दिनांक: 16 जनवरी 2026
स्थान: इंदौर
अधिकृत अधिकारी
एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के लिए

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022
IDFC FIRST Bank

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	46365941	प्रॉपर्टी पर लोन	17.12.2025	रु. 1,25,431.97/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. विक्रम सिंह परिहार 2. जमुना बाई परिहार 3. करण सिंह परिहार

संपत्ति का पता: मकान नंबर 38 का पूरा हिस्सा, कुल क्षेत्रफल 1107 वर्ग फुट, सर्वे नंबर 114, वार्ड नंबर 12, पी.एच. नंबर 14, ग्राम पगारिया, ग्राम पंचायत लोलकी, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर, मध्य प्रदेश-465445, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- गुमान सिंह का मकान, पश्चिम- गोकुल सिंह का मकान, उत्तर- सड़क, दक्षिण- शिव सिंह का मकान

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
दिनांक: 17.1.2026
स्थान: आगर

SBFC फाइनेंस लिमिटेड
(पहले SBFC फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड)
रजिस्टर्ड ऑफिस:- यूनिट नंबर 103, पहली मंजिल, C&B स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, गाँव चकाला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059.

डिमांड नोटिस

चूंकि नीचे बताए गए कर्जदारों/सह-कर्जदारों ने SBFC फाइनेंस लिमिटेड से फाइनेंशियल मदद ली थी. हम बताते हैं कि फाइनेंशियल मदद लेने के बावजूद, कर्जदारों/गिरवी रखने वालों ने तय तारीखों के अनुसार ब्याज और मूलधन की रकम चुकाने में कई डिफॉल्ट किए हैं. SBFC फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (SARFAESI एक्ट) के तहत और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े गए सेक्शन 13(12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, SBFC के रिकॉर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, नीचे बताई गई संबंधित तारीखों पर खाते को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और नीचे बताई गई संबंधित तारीखों पर डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें निम्नलिखित कर्जदारों/गिरवी रखने वालों से नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में बताई गई रकम, साथ ही नोटिस में बताई गई रकम पर कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्याज और अन्य खर्च, लागत, शुल्क आदि का भुगतान करने के लिए कहा गया है. उनके आखिरी ज्ञात पतों पर भेजे गए नोटिस बिना तामील हुए वापस आ गए हैं और इसलिए उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से इसके बारे में सूचित किया जाता है.

क्र.	कर्ज़दार का नाम/पता	डिमांड नोटिस और NPA की तारीख	लोन नंबर और बकाया राशि	सुरक्षित संपत्ति का पता
1.	1. झलक कंगन स्टोर, 2. मोहम्मद रिज़वान अहमद, 3. रफीक जी, 4. रुखसाना जी, 5. कासम अहमद. पता: मकान/खसरा नंबर 32/A (पुराना नंबर 28), वार्ड नंबर 30 (सरल नंबर 633), चूड़ी बक्कल देवास जूनियर, देवास (म.प्र.), पिनकोड-455 001.	डिमांड नोटिस की तारीख: 23 दिसंबर 2025 NPA की तारीख: 04 दिसंबर 2025	लोन अकाउंट नंबर 4021060000151335-C (PR01093329) सुविधा एग्रीमेंट नंबर 4021060000151335-C (PR01093329) के लिए 15,00,000/- रुपये (पंद्रह लाख रुपये मात्र) की लोन राशि. कुल बकाया राशि: 09 दिसंबर 2025 तक 11,39,214/- रुपये (ग्यारह लाख उन्चालीस हज़ार दो सौ चौदह रुपये मात्र) और 10 दिसंबर 2025 की तारीख से बिना लगाया गया ब्याज.	मकान जो मकान/खसरा नंबर 32/A (पुराना नंबर 28) पर स्थित है, वार्ड नंबर 30 (सरल नंबर 633) में, कुल क्षेत्रफल 385.00 वर्ग फुट (35.78 वर्ग मीटर), चूड़ी बक्कल देवास जूनियर देवास (म.प्र.), पिनकोड-455 001. उपरोक्त संपत्ति की सीमा- पूर्व की ओर- गली, पश्चिम की ओर- चूड़ी बक्कल रोड, उत्तर की ओर- ज़ाहिर अहमद का मकान, दक्षिण की ओर- मोहम्मद अहमद का प्लॉट और मकान.
2.	1. मेसर्स जी एन स्पेयर्स, 2. श्री परवेज़ शेख, 3. श्री गुलाम शेख, 4. श्रीमती रेहाना बी, 5. श्रीमती खातून बी पता: मकान नंबर 11/2, वार्ड नंबर 41 में विष्णु मंदिर गली नंबर 02, मुक्ति मार्ग, देवास म.प्र. 455001	डिमांड नोटिस की तारीख: 23 दिसंबर 2025, NPA की तारीख: 04 दिसंबर 2025	लोन अकाउंट नंबर 4021060000186423-C (PR01170605)। लोन राशि रुपये। सुविधा एग्रीमेंट नंबर 4021060000186423-C (PR01170605) के लिए 20,00,000/- रुपये (केवल बीस लाख रुपये), 9 दिसंबर 2025 तक लोन बकाया राशि 20,24,467.91/- रुपये (केवल बीस लाख चौबीस हज़ार चार सौ सड़सठ रुपये और इक्यानवे पैसे) और 10 दिसंबर 2025 की तारीख से बिना लगाया गया ब्याज.	मकान नंबर 37 (नया नंबर 11/2) के दक्षिण तरफ का पूरा हिस्सा, जो वार्ड नंबर 41 (सरल नंबर 776) में विष्णु मंदिर गली नंबर 02, मुक्ति मार्ग (मोहल्ला मोहन टोला), देवास म.प्र. 455001 में स्थित है, साइज़- चौड़ाई 21.00 फीट, लंबाई 41.00 फीट, कुल एरिया 861 वर्ग फीट (80.01 वर्ग मीटर) जिसकी बाउंड्री है- पूर्व- सरकारी गली, पश्चिम- विष्णु मंदिर रोड नंबर 02, उत्तर- शकील शेख की बची हुई मकान की प्रॉपर्टी, दक्षिण- सरकारी गली.
3.	1. श्री अमर ट्रेडर्स, 2. रूप सोलंकी, 3. लाला कुंवर सोलंकी. पता: प्लॉट नंबर 1, सर्वे नंबर 231/1 वार्ड नंबर 22 उत्तरी भाग विष्णु कॉलोनी, देवास, मध्य प्रदेश पिन 455001	डिमांड नोटिस की तारीख: 23 दिसंबर 2025 NPA की तारीख: 04 दिसंबर 2025	लोन खाता नंबर 4021060000207290-C (PR01190716), सुविधा एग्रीमेंट नंबर के लिए लोन राशि 24,90,000/- रुपये (केवल चौबीस लाख नब्बे हज़ार रुपये)। 4021060000207290-C (PR01190716), लोन बकाया राशि: 24,47,879/- रुपये (केवल चौबीस लाख सैंतालीस हज़ार आठ सौ उन्यासी रुपये) 9 दिसंबर 2025 तक और 10 दिसंबर 2025 की तारीख से बिना लगाया गया ब्याज.	प्लॉट नंबर 1, सर्वे नंबर 231/1 का पूरा हिस्सा, जो वार्ड नंबर 22, विष्णु कॉलोनी, देवास, मध्य प्रदेश पिन 455001 में स्थित है, साइज़ 17.50 फीट × 35.00 फ